भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 897

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

कर्नाटक में टोल प्लाजा

897. श्री जी. कुमार नायक:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में संचालित टोल प्लाजाओं की कुल संख्या कितनी है और टोल सड़कों की राज्यवार और कर्नाटक में जिलावार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) टोल लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से क्षेत्र के यातायात घनत्व, आर्थिक स्थिति और परियोजना लागत वसूली जैसे कारकों के संबंध में अपनाए गए औचित्य या मानदंड का ब्यौर क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने टोल दरों में छूट और रियायत अवधि के संबंध में सार्वजनिक रूप से सुलभ जानकारी उपलब्ध कराई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) शुल्क प्लाजा की राज्य-वार संख्या और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित इससे प्रभावित टोल लंबाई, **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

कर्नाटक राज्य में जिले-वार टोल की लंबाई का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं या लाभों के लिए शुल्क लगाने के लिए मौजूदा शुल्क नियम (राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008) वर्ष 2008 में तैयार किया गया था, जिससे प्रयोक्ता शुल्क दरों के निर्धारण में अधिक पारदर्शिता और निश्चितता सुनिश्चित हुई और देश भर में प्रयोक्ता शुल्क की गणना के लिए एक समान पद्धति अपनाई गई। इस प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित शुल्क अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी पूर्ण खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के एक पूर्ण खंड के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है।

(ग) प्रयोक्ता शुल्क दरों, छूट और रियायत अवधि के बारे में जानकारी प्रत्येक शुल्क प्लाजा पर प्रदर्शित की जाती है और राजमार्ग यात्रा पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक I

"**कर्नाटक में टोल प्लाजा**" के संबंध में श्री जी. कुमार नायक द्वारा 04 दिसंबर, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 897 के भाग (क) के उत्तर में उल्लखित अनुबंध।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा और टोलिंग लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

31.10.2025 तक		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की संख्या**	**लंबाई (किमी में)**
आंध्र प्रदेश	85	4,586.10
असम	10	529.62
बिहार	42	2,234.48
छत्तीसगढ़	24	1,215.89
दिल्ली	1	46.079
गोवा	1	18.3
गुजरात	62	2,803.79
हरियाणा	75	2,827.67
हिमाचल प्रदेश	5	162.273
जम्मू और कश्मीर	6	294.019
झारखंड	22	1,036.97
कर्नाटक	66	3,086.09
केरल	8	259.462
मध्य प्रदेश	97	5,095.50

महाराष्ट्र		98	5,163.51
मेघालय		4	205.30
ओडिशा		32	1,947.80
पंजाब		43	1,920.11
राजस्थान		172	8,613.43
तमिलनाडु		74	3,692.91
तेलंगाना		35	1,639.06
उत्तर प्रदेश		137	6,536.78
उत्तराखंड		7	293.105
पश्चिम बंगाल		29	1,451.66

अनुलग्नक II

"**कर्नाटक में टोल प्लाजा**" के संबंध में श्री जी. कुमार नायक द्वारा 04 दिसंबर, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 897 के भाग (क) के उत्तर में उल्लखित अनुबंध।

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिले के हिसाब से टोलिंग की लंबाई का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	जिले में प्रभावित टोलिंग लंबाई (किमी में)	जिले में प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की संख्या
1	अनंतपुरम (आंध्र प्रदेश)	11.5	1
2	बागलकोट	66.543	1
3	बैंगलोर दक्षिण	47.8	0
4	बेलगावी	213.8	4
5	बेल्लारी	6.18	0
6	बेंगलुरु ग्रामीण	163.1489	7
7	बेंगलुरु	73.599	6
8	बीदर	133.395	2
9	चामराजनगर	116.155	2
10	चिक्काबल्लापुरा	53.55	1
11	चिक्कामगलुरु	22.015	1
12	चित्रदुर्ग	258.599	3
13	दक्षिण कन्नड़	43.097	2
14	दावनगेरे	86.5559	2
15	धारवाड़	87.3	1
16	गड़ग	45.151	1
17	हासन	152.7156	2
18	हावेरी	103.95	2
19	कलबुर्गी	66.244	1
20	कोलार	153.488	4
21	कोप्पल	123.987	3
22	मंड्या	126.1272	4
23	मैसूर	83.624	2
24	रामनगर	73.85	0

25	संगरेड्डी	70.1	1
26	तुमकुरू	176.561	3
27	उडुपी	104.3492	3
28	उत्तर कन्नड़	148.0108	2
29	विजयनगरम	68.7111	1
30	विजयपुरा	204.083	4

*****